न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं044/2016
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

तारीख रजू:– 13.04.2016

1. मानसिंह पुत्र सोना उर्फ शोभाराम जाति जाटव निवासी हिण्डौन सिटी
2. नवलसिंह पुत्र सोना उर्फ शोभाराम जाति जाटव निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायलान

बनाम

1. प्रेमबाई पत्नि रामकेश जाति जाटव निवासी सैंगरपुरा खुर्द तहसील करौली
2. केशन्ती पत्नि बत्तूलाल जाति जाटव निवासी क्यारदाकला तहसील हिण्डौन
3. भगवानसिंह पुत्र पूरनचंद जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी
4. गुलबाई पत्नि सुन्दर जाति जाटव हालवासी जाटवबस्ती हिण्डौनसिटी–मृतक

4/1. निरोत्तम पुत्र स्व0 गुलबाई
4/2. समयसिंह पुत्र स्व0 गुलबाई
4/3. गुड्डी बेबा रमेश पुत्र स्व0 गुलबाई
4/4. मोनू पुत्र स्व0 रमेश पुत्र स्व0 गुलबाई नाबालिग जरिये संरक्षक माता गुड्डी स्वंय
4/5. अजय उर्फ देवू पुत्र स्व0 रमेश पुत्र स्व0 गुलबाई नाबालिग जरिये संरक्षक माता गुड्डी स्वंय

समस्त जाति जाटव निवासी खलील की टाल के सामने, नाका नं05, बयाना रोड, जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली

5. सब रजिस्ट्रार, उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन सिटी ——— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री संजय शर्मा एडवोकेट सायलान
2. श्री प्रेमसिंह नोनिया एडवोकेट गैरसायल सं01,2
3. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट गैरसायल [illegible] /8
4. श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट गैरसायल सं0 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 10-12-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल [illegible] गैरसायलान के विरूद्ध न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी वाद बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0, 6374 रकबा 0.01 है0, वाके कस्बा हिण्डौन में स्थित है। जिसमें न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन की डिकी व निर्णय उनवानी मुकदमा पूरन चन्द बनाम सोना, बादामी मुकदमा नं0 428/93 तारीख फैसला 13.01.1999 के अनुसार 1/3 हिस्सा पूरनचन्द जाति जाटव निवासी हिण्डौन के हक में है, 1/3 हिस्सा सोना उर्फ शोभाराम जाति जाटव निवासी हिण्डौन के हक में है तथा 1/3 हिस्सा बादामी स्त्री हटीला जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना के हक में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र के खसरा नम्बर 6373 के 1/3 भाग के खातेदार पूरनचन्द ने अपना 15375 वर्गफिट हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड दिनांक 13.08.2008 को मुवलिग 9 लाख 31 हजार रूप्या में गैरसायल सं01 व 2 प्रेमबाई, केसन्ती को विकय कर दिया है। शेष भूमि पूरनचन्द की खातेदारी में हैं पूरनचन्द फौत हो चुका है, उसकी शेष भूमि मृतक पूरनचन्द के वारिसान पुत्र, पौत्रगण दावे के प्रतिवादी नं0 11–12 के हक में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र के 1/3 हिस्सा के खातेदार बादामी फौत हो चुकी है। उसके वारिसान सोमोती पुत्री हटीला, रामदेई पुत्री हटीला व पुत्रगण माखन तथा परमसुख निवासी बागरैन हैं। बादामी के वारिसान सोमोती तथा रामदेई के 1/6 हिस्सा की भूमि खसरा नम्बर 6373 को मुविलग 8 लाख रूपये में दिनांक 13.07. 2009 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र गुलबाई गैरसायल सं05 को विकय कर दिया है। जिसके आधार पर विवादित भूमि के 1/6हिस्सा की खातेदारी गुलबाई के हक में हो चुकी है। बाकी 1/6 भाग के खातेदार दावे के प्रतिवादी सं014–15 माखन परमसुख पिसरान हटीला हैं लेकिन मौजूदा जमाबन्दी सं0 2067–70 में गुलबाई का 1/3 हिस्सा गलत लिख दिया है जबकि गुलबाई का 1/6 हिस्सा होना चाहिए।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 6373 वाके कस्बा हिण्डौन के 1/3 भाग के खातेदार सोना उर्फ शोभाराम हैं, जो फौत हो चुके हैं। उसके वारिसान [illegible] 1 व 2 मानसिंह नवलसिंह तथा दावे के प्रतिवादी सं01 लगायत 8 हैं [illegible] रिकार्ड के 1/3 भाग के रिकोर्डेड खातेदार हैं। इस 1/3 भाग को [illegible] काश्त करते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मु[illegible]का मद नं02 प्रार्थना पत्र का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सम्पूर्ण भूमि को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं । लेकिन गैरसायलान अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि को काश्त कर लेते हैं। जिससे आपस में तनाजा रहता है। सायलान ने दिनांक 26.03.2016 को गैरसायलान से कहा कि भाईयों विवादित भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:01:20
Reason: SelfAttested

विधिवत बंटवारा कराओ तो गैरसायलान नाराज हो गये तथा बंटवारा कराने से इंकार कर दिया और सायलान व दावे के प्रतिवादी सं01 ता 8 के 1/3 हिस्सा की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की एलानियॉ धमकी दी है तथा गैरसायलान ने बिना बंटवारा कराये लठैत व्यक्तियों को भूमि को हस्तातंरित करने की ऐलानियॉ धमकी दी है इसलिए दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा पेश करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं06 सब रजिस्ट्रार को इसलिए पक्षकार बनाया है कि दौराने दावा रहन वय की स्थिति में विवादित भूमि की रजिस्ट्री ना करें।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धान्त सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।इसलिए गैरसायलान को टी.आई. आदेश से पाबन्द करना निहायत ही जरूरी है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वंय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित भूमि खसरा नम्बर 6373 तथा 6374 के किसी भी भाग का बिना बंटवारा कराये रहनवय ना करें। सायलान को 1/3 हिस्से की भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। सायलान के 1/3 हिस्सा की भूमि को वेस्ट डेमेज एण्ड एलीनेट ना करें तथा दौराने दावा गैरसायल सं06 विवादित भूमि के किसी भी भाग की रजिस्ट्री ना करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं0 1,2,3,4/1 ता 4/5 बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये। गैरसायल सं01,2 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 अस्वीकार है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस तरह से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। उपरोक्त आराजी में पूरन का वर्तमान स्थिति में 1/3 हिस्सा नहीं है। उसमें से 1/3 हिस्से में से गैरसायल सं01 व 2 का हिस्सा 1537[illegible] है, जिसका जमाबन्दी में भी इन्द्राज हो चुका है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद [illegible] पत्र के मद नं03 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04में दर्ज किया है कि [illegible]र्थना पत्र के मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, जो लाइल्मी होने के क[illegible] अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 आंशिक रूप से स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 स्वीकार नहीं है। उक्त भूमि का पहले से ही बाहमी रूप से बंटवारा हो चुका है तथा जिसके अनुसार अपने अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा काश्त है और उसी हिसाब से पूर्व में बयनामा कराये गये हैं तथा इस बंटवारे का सायलान को पूर्व से ही अच्छी तरह से पता है। इस कारण दावा गलत पेश किया है क्योंकि बयनामा का इन्द्राज जमाबन्दी में पहले से ही हो चुका है तथा दिनांक 23.06.2016 की बात बिल्कुल गलत है कोई धमकी नहीं दी गई थी। इसलिए प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 गलत है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं06 सब रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन सिटी गलत रूप से पार्टी बनाया गया है तथा दावा करने से पूर्व सब रजिस्ट्रार को दफा 80 सीपीसी का नोटिस देना कानूनन आवश्यक था लेकिन सायल द्वारा कोई 80 सीपीसी का नोटिस सब रजिस्ट्रार को नहीं दिया गया। इस कारण दावा काबिले खारिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 गलत है, स्वीकार नहीं है। सायल का प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन किसी भी तरह साबित नहीं है इस कारण सायलान किसी भी तरह से अस्थायी निषेधाज्ञा लेने के अधिकारी नहीं है तथा खातेदार को अपने हिस्से की भूमि बेचने से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नहीं है। कानूनन सहखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस कारण सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें

उज्रात मजीदः—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। बाहमी रूप से बंटवारा के हिसाब से सभी अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा उसी अनुसार बेचान किया गया है तथा आज भी मौके पर अपने अपने कब्जे मौजूद हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि दफा—80 सीपीसी का नोटिस सब रजिस्टार हिण्डौन को न देने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज कि[illegible] कि सायल सं01 व 2 ने अपने हिस्से जो पूरन से खरीद[illegible] जो मौके पर मौजूद है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, व सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू [illegible]त नहीं है ना ही अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। सायलान को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति भी नहीं है। क्योंकि सायलान पहले से ही अपने सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से पर काबिज हैं। कानूनन सहाखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया जा सकता। उक्त प्रार्थना पत्र महज मिन गैरसायलान को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल सं0 4/1 ता 4/8 (वारिसान गुलबाई) की ओर से पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा निराधार तथ्यों पर दावा पेश करना स्वीकार है, परन्तु उक्त दावा कतई गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर बिना किसी अधिकार व औचित्य के पेश होने से सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.1999 मुकदमा नं0 428/93 उनवानी पूरनचन्द बनाम सोना आदि की गैरसायलान को कोई जानकारी नहीं है और ना ही गैरसायलान की जानकारी व ज्ञान में विवादित आराजीयात बाबत् पूर्व में कोई निर्णय व डिक्री पारित हुआ है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। इस मद में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि विवादित आराजीयात के 1/6 भाग के खातेदार माखन, परमसुख पि0 हटीला हो। सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि जमाबन्दी सं0 2067–70 में गुलबाई का 1/3 हिस्सा गलत लिख दिया हो। सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि गुलबाई का 1/6 हिस्सा हो। बल्कि विवादित आराजीयात में गुलबाई का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 1/3 हिस्से पर ही गुलबाई व उसके वारिसान काबिज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि विवादित [illegible] भाग को सायलान ही काश्त करते हों।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित कोई दिनांक 23.06.2019 को या किसी भी दिन किसी भी समय इस मद में वर्णित कोई वातावरण सायलान व गैरसायलान के मध्य नहीं हुआ है। सायलान ने इस मद में दर्ज समस्त तथ्य कतई गलत, बनावटी महज दावा दायर करने के लिए गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज कराये हैं जो गैरसायलान को स्वीकार नहीं हैं। विवादित भूमि के खातेदार बहामी बंटवारे के आधार पर भूमि पर काबिज व दखील हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 जबाव का मोहताज नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अतुल्य क्षति का सिद्धान्त किसी भी प्रकार से साबित नहीं है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायलान अत्यधिक अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी दृव्य में भी सम्भव नहीं हो सकेगी। गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने से सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।

विशेष विवरण :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि दावा वादीगण/ सायलान दो प्रतियों में प्रत्ये कपेज पर हस्ताक्षर वादीगण/ सायलान कर विधि अनुसार सत्यापित कर शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत काबिले रिजेक्शन हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में वर्णित कथनानुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण काबिल रिजेक्शन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि आबादी क्षेत्र से घिरी होने व आबादी के प्रयोग में आ रही होने के कारण प्रार्थना पत्र हाजा की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सायल नवलसिंह ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में ही पूर्व में भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन सिटी में दवा मुकदमा नं0 75/2014 विरूद्ध गैरसायलान पेश किया था जो दिनांक 14.05.2015 को खारिज हो गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि के अपने 1/3 भाग पर सायलान व गैरसायल सं01 व 2 का संयुक्त कब्जा है कि जिसे सायलान व गैरसायलान सुविधा एवं आवश्यकतानुसार अपने उपयोग में लेते चले आ रहे हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया [illegible] प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज कथनानुसार माखन व [illegible] सायलान ने दावा हाजा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। [illegible] ऑफ पार्टीज का नुक्स आरिज होने के कारण प्रार्थना पत्र सायलान काबिल रिजेक्शन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र में से गैरसायला गुलबाई ने अपने हिस्से व कब्जेशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में से रिहायशी उपयोग उपभोग के लिए 30 गुणा 40 फिट का प्लाट रामनिवास जाटवको, 30 गुणा 40 फिट का प्लाट परषोत्तम पुत्र रामफल जाटव को, 48 गुणा 30 फिट का प्लाट सतीश पुत्र रामदास जाटव को, 30 गुणा 48 फिट का प्लाट श्रीमती कमला पत्नि विजयसिंह जाटव को विक्रय कर उनका कब्जा कराया है कि जिन पर खरीददारान पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर सपरिवार रिहायश करते चले आ रहे है कि जिन्हें सायलान ने प्रकरण हाजा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि जबाव देहन्दा गैरसायलान के पास शेष रही कब्जेशदु भूमि में गैरसायलान का एक पुख्ता कमरा, 4 गैह मुण्डी पाटौर, लैट्रिन, बाथरूम बना हुआ है कि जिसमें गैरसायलान रिहायश कर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं एव गैरसायलान के रिहायशी परिसर में गुलबाई के नाम से नल कनैक्शन लगा हुआ है एवं खाली भूमि में मिट्टी का भरत करवाया हुआ है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 16 में दर्ज किया है कि सायलान स्वस्थ हस्त व स्वस्थ मन से न्यायालय में नहीं आये हैं इसलिए सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा जैसी पवित्र प्रतिकार पाने के कूननन अधिकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं017 में दर्ज किया है कि गैरसायलान विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। कानूनन रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा जारी डिक्री मुकदमा नं0 428/1993 उनवानी पूरनचन्द बनाम सोना उर्फ शोभाराम वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.01.1999, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 3052 निर्णित दिं0 21.08.2008, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 3241 दिनांक 30.06.2009, नकल नामान्तकरण सं0 3264 निर्णत दिनांक 24.07.2009, नकल नामान्तकरण सं0 4763 निर्णित दिं0 06.12.2017, फोटो प्रति नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2009 उनवानी सोमोती रामदेई पुत्रियॉ हटीला बहक श्रीमती गुलब[illegible] विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2008 उनवानी पूरनचन्द बहक श्रीमती प्रेमबाई, [illegible] पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की [illegible] सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0, 5374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी सोना उर्फ शोभाराम पुत्र ऊदा हि01/3, पूरनचन्द पुत्र ऊदा हि0 3641 वर्गफिट दर हि01/3, प्रेमबाई पत्नि रामकेश केशन्ती पत्नि बत्तूराम हि0 15375 वर्गफिट दर हि01/3, श्रीमती गुलबाई पत्नि सुन्दर हि01/3 जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 4763 नि0दिं0 06.12.2013 –विरासत से खाते में मृतक सोना उर्फ शोभाराम पुत्र ऊदा हि01/3 के बजाय मानसिंह नवलसिंह दयालाल राजेश पि0 सोना उर्फ शोभाराम मुन्नी प्रेम पुत्री सोना उर्फ शोभाराम हि06/21, पीतम पुत्र हरज्ञान माता रेशम, कान्हा शान्ता निरी पुत्रियॉं माता रेशन हि01/21 जाति जाटव के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा जारी डिक्री मुकदमा नं0 428/1993 उनवानी पूरनचन्द बनाम सोना उर्फ शोभाराम वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा निर्णित दिनांक 13.01.1999 के अनुसार खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0, 6374 रकबा 0.01 है0 में वादी पूरनचन्द पुत्र ऊदा जाटव निवासी हिण्डौन को हि01/3 भाग का व प्रतिवादी सोना उर्फ शोभाराम जाटव निवासी हिण्डौन को हि01/3 भाग का व बादामी स्त्री हटीला पुत्री ऊदा जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर को हि01/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 3052 निर्णित दिं0 21.08.2008 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0 में खातेदार पूरनचन्द पुत्र ऊदा हि01/3 जाति जाट निवासी बागरैन तहसील बयाना के स्थान पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती प्रेमबाई पत्नि रामकेश केसन्ती पत्नि बत्तूलाल जाति जाटव हि0 15375 वर्गफिट, पूरन चन्द पुत्र ऊदा हि0 3641 वर्गफिट, शेष हिस्सा 2/3 बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 3241 दिनांक 30.06.2009 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0, 6374 रकबा 0.01 है0 में खातेदार बादामी पुत्री ऊदा स्त्री हटीला हि01/3 जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर के स्थान पर माखन परमसुख सोमोती रामदेई पुत्री हटीला जाति जाटव हि0ब0 हि01/3 निवासीगण [illegible] बयाना जिला भरतपुर, शेष हिस्सा बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 3264 निर्णत दिनांक 24.07.2009 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0 कस्बा हिण्डौन में खातेदार माखन परमसुख पि0 हटीला सोमोती रामदेई पुत्री हटीला जाति जाटव हि0ब0 हि01/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]वासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर के स्थान पर श्रीमती गुलबाई पत्नि [illegible]सुन्दर जाति जाटव हि01/3 निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन शेष जमाबन्दी बदस्तूर [illegible] दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 4763 निर्णित दिं0 06.12.2017 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6373, 6374 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 कस्बा हिण्डौन में खातेदार सोना उर्फ शोभाराम पुत्र ऊदा हि01/3 जाति जाट निवासी ग्राम के स्थान पर मानसिंह नवलसिंह दयालाल राजेश पि0 सोना उर्फ शोभाराम मुन्नी प्रेम पुत्री सोना उर्फ शोभाराम हि0 6/21 पीतम पुत्र हरज्ञान माता रेशम, कान्हा शान्ता निरी पुत्रियॉ माता रेशन हि01/21 जाति जाटव के हक में भरा गया है तथा शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें हैं।

फोटो प्रति नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2009 उनवानी सोमोती रामदेई पुत्रियॉ हटीला बहक श्रीमती गुलबाई के अनुसार विक्रेता सोमोती रामदेई ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0 कस्बा हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 भाग की भूमि का बेचान श्रीमती गुलबाई के हक में किया गया हैं।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2008 उनवानी पूरनचन्द बहक श्रीमती प्रेमबाई, श्रीमती केशन्ती के अनुसार खातेदार पूरनचन्द के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0 कस्बा हिण्डौन में से एक प्लाट जिसकी नाप 15375 वर्गफिट भूमि का बेचान किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0, 7374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में सायलान हिस्सा 2/7 के एवं गैरसायल सं0 1,2, हिस्सा 15375 वर्गफिट बहिस्सा बराबर एवं गैरसायल सं0 4 गुलबाई हिस्सा 1/3 एवं गैरसाल सं03 के पिता पूरनचन्द हि0 3641 वर्गफिट के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका पक्षकारान के मध्य बाहमी तौर पर मौके पर उक्त विवादित आराजीयात का हो रहा है तथा खातेदारान ने अपने हिस्से एवं कब्जे के आधार पर उक्त भूमि को वर्गफिटों में बेचान किया हुआ हैं। उक्त भूमि मौके पर कृषि उपयोग में आना प्रतीत नहीं होता है बल्कि मौके पर आवासीय उपयोग में लेना प्रतीत होता है। सायलान का उक्त विवादित आराजीयात में 1/3 हिस्सा नहीं है बल्कि सायलान का 2/21 हिस्सा है। सायल[illegible] प्रार्थना पत्र में गलत व झूंठे तथ्यों के आधार पर [illegible] उक्त विवादित आराजीयात के 1/3 भाग की भूमि पर कोई कब्जा [illegible] नहीं होता है। सायलान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सायलान का केवल 2/21 हिस्सा है। गैरसायलान उक्त विवादित आराजी[illegible] के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। गैरसायलान को यदि जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested

ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो इससे गेरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार सायलान का प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 6373 रकबा 0.52 है0, 6374 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता हैं तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 13.04.2016 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10-12-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:20 IST
Reason: SelfAttested